राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड़, जयपुर
राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर

क्रमांक : प.14(19)RSMSSB/अर्थना/पटवारी/2015/341 दिनांक : 30.11.2015

पटवार सीधी भर्ती परीक्षा–2015

संशोधित–विज्ञप्ति

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड़ द्वारा पटवारी के 4400 पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा–2015 हेतु विज्ञप्ति दिनांक 04.11.2015 को जारी की गई है जिसमें निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। निम्नलिखित कॉलम नं. 2 के स्थान पर कॉलम नं. 3 में संशोधित अंकन को पढा जावे :–

विज्ञप्ति का पेज संख्या/ बिन्दु संख्या 1	विज्ञापन में किया गया अंकन 2	संशोधित अंकन 3
पेज –1 पंक्ति सं. 2	अन्तर्गत राज्य की पटवार प्रशिक्षण शालाओं में प्रवेश हेतु पटवार सीधी भर्ती परीक्षा के प्रयोजनार्थ	अन्तर्गत पटवार भर्ती के प्रयोजनार्थ
पेज नं.–5 बिन्दु संख्या 6	बोर्ड द्वारा पटवार प्रशिक्षण शाला हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची राजस्व मण्डल, अजमेर को उपलब्ध कराये जाने पर भू.अ. नियम 281 के अनुसार 9 माह का पटवार प्रशिक्षण दिलवाया जावेगा व उसके पश्चात् भू.अ. नियम 282 के अनुसार पटवार परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भू.अ. नियम 4(क) के अनुसार नियुक्ति दी जावेगी।	बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची राजस्व मण्डल को उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् जिलेवार मेरिट लिस्ट राजस्व मण्डल द्वारा संबंधित जिला कलेक्टरों को उपलब्ध कराये जाने पर जिला कलेक्टर द्वारा प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में नियुक्ति दी जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पश्चात् भू.अ. नियम 281 के अनुसार 9 माह का पटवार प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा व भू.अ. नियम 282 के अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
पेज नं0 5 बिन्दू सं0 6 (2)	ऐसे किसी आवेदक को, जो कि दिनांक 20.01.2006 के पश्चात् राज्य सेवा नियुक्त होगा, की नियुक्ति दो वर्ष के परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के लिए की जायेगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्तें यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नही होगें। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में निहित	**सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए की जायेगी।** इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्तें यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नही होगें। परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में निहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय

	संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगा। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होगें।	होगा। परिवीक्षा अवधि में पटवार प्रशिक्षण प्राप्त करने और प्रशिक्षण प्रश्चात् परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा सत्यनिष्ठा अप्रश्नप्रद होने व स्थायीकरण के लिए उपयुक्त होने का समाधान हो जाने के उपरांत ही परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होगें व **स्थाईकरण का पात्र होगा।**
पेज सं0 6 बिन्दू सं0 9 आयुः– पंक्ति सं0 1 व 2	आयुः– 1 जनवरी 2016 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 35 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक : एफ/7/6/कार्मिक/क–II/2008 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार" जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के	आयुः– 1 जनवरी 2016 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर **लेनी चाहिए** और 35 वर्ष की **आयु प्राप्त नहीं करनी चाहिए,** परन्तु **भू.अ. नियम 273 (4)(iii) (आई)** के अनुसार "जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के
	जिला जयपुर के रिक्त पदो के दण्डवत आरक्षण के कॉलम में भू.पू.सै. के आरक्षित 31 पद एवं उत्कृष्ट खिलाडी के 5 पद जयपुर जिले के बैकलॉग के कॉलम में दर्शाये गये है।	जिला जयपुर के रिक्त पदो के दण्डवत आरक्षण के कॉलम में भू.पू. सै. के आरक्षित 31 पद एवं उत्कृष्ट खिलाडी के 5 पद बैकलॉग के कॉलम के स्थान पर इसके नीचे वाले कॉलम में चालू वर्ष की कुल रिक्तियों के विरूद्ध पढा जावें।

सचिव